23/3/21	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उप० आये/ प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आ० ख० नं० 16/0.02, 17/0.06, 18/3.63 हैक्टर वाके ग्राम [illegible] तहसील मुण्डावर प्रार्थीगण की एवं आ० ख० नं० हाल 362/0.13, 363/0.14 हैक्टर वाके ग्राम कोकावास तहसील मुण्डावर अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है एवं आ० ख० नं० 16/0.02 हैक्टर गै० मुमकिन चाह तथा ख० नं० 17/0.06 हैक्टर गै० मुमकिन आबादी है व ख० नं० 18/3.63 हैक्टर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा ख० नं० 17 में प्रार्थीगण मकान बनाकर अर्सा दराज से निवास कर रहे हैं रिहायशी मकान बना रखे हैं जो गै० मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है। ख० नं० 16, 17, 18 के उत्तर में अप्रार्थीगण की आ० ख० नं० 362, 363 वाके ग्राम कोकावास तहसील मुण्डावर में स्थित है जिनके तर्फ उत्तर में आम रास्ता है जो राजस्व [illegible] अंकित है, रास्ता मौके पर चालू है [illegible] प्रार्थीगण की आ० ख० नं० 18 व आबादी के ख० नं० 17 व गै० मुमकिन चाह ख० नं० 16 तक आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ख०

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:38 IST
Reason: SelfAttested

...उपखण्ड .... मुण्डावर, जिला अलवर

...र्गत .... किस्म .... मुकदमा नं० .... दिनांक ....

...त्रावली ....

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर एवं तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नम्बर 363 के अन्दर से निकलने रास्ता के सिवाय प्रार्थीगण
के आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता
इस रास्ते से नजदीक नहीं है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से
ख०नं० 362, 363 में से होकर अपने ख०नं०
16, 17, 18 तक आते जाते है लेकिन रिकॉर्ड रास्ता
नहीं है केवल अप्रार्थीगण की सहमति से आते जाते हैं
परन्तु अब अप्रार्थीगण अधिक हो गये जो अब आने जाने
मे बाधा पैदा करते हैं विवाद करते हैं। प्रार्थीगण को
अपनी आराजी व आबादी तक जाने के लिए इस
प्रस्तावित रास्ते से नजदीक अन्य किसी तरफ से रास्ता
नहीं बनता है। उक्त रास्ते की एवज में विधि अनुसार
निर्धारित कीमत देने के लिए तैयार है या आपसी सहमति
बनने पर आराजी के बदले आराजी देने को भी तैयार है।
कायम करते हुए ख०नं० 363, 362 में से पश्चिमी डोल
के साथ-साथ 15 फुट चौड़ा व करीब 200 फुट लम्बाई
उक्त प्रस्तावित रास्ता निर्धारित कीमत या आराजी के बदले
आराजी देने के आदेश किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुताबिक
प्रार्थना पत्र तहसीलदार मुण्डावर से चाही जाकर रिपोर्ट
आहकामकारी किया गया तथा बाद विधिवत तामील अप्रार्थी
सं० 1 से 14, 20 से 23, 28, 30, 31 अनुपस्थित रहने की स्थिति
मे उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
अप्रार्थी सं० 15 ता 18, 25, 26, 19, [illegible]
जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपने अपने
जवाब पेश पेश किये/ उनमुताबिक मुताबिक जवाब [illegible]
हैं सारतः यह है कि हाल आ० ख०नं० 16, 17, 18 [illegible]
एवं आ० ख०नं० 362, 363 स्थित अप्रार्थीगण की व [illegible]
तहसील मुण्डावर जिला अलवर की आराजी खातें है तथा प्रार्थीगण ख०नं०
17/0.06 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी की रकबा की आराजी है
मकानात बनाकर पूर्व से निवास कर रहे है जो बाके ग्राम
कल्याणपुरा की आराजी है तथा प्रार्थीगण नांगलदास -मुण्डावर रोड.

(हस्ताक्षर)
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

लगातार =

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram S
Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:3
Reason: SelfAttested

से गांव नगलापुर जानेवाली आमसड़क से गैरमुं० रास्ता
177 में होकर ख० नं० 183, 184 वाके ग्राम नगलापुर
से होकर अपने रिहायशी मकानात में आवागमन कर रहे हैं तथा
वर्तमान में जहां से प्रार्थीगण आवागमन कर रहे हैं उनकी दूरी
करीब एवं प्रार्थीगण वाके ग्राम नगलापुर की है तथा उनकी आबादी
भी वाके ग्राम नगलापुर तह० मुण्डावर की आबादी है तथा कि
अप्रार्थीगण की आबादी भी वाके ग्राम कोलावास एवं इन अप्रार्थीगण
भी निवासीगण ग्राम कोलावास तह० मुण्डावर के हैं। इसलिए
भी प्रार्थीगण बिना अप्रार्थीगण की आबादी में से पूर्व से रिहायशी
अपने मकानात हेतु रास्ता पाने के अधिकारी नहीं है तथा
प्रार्थीगण द्वारा कभी भी उक्त ख० नं० 363, 362 में से आवागमन
नहीं किया है बल्कि ख० नं० 184, 183 वाके ग्राम नगलापुर
में स्थित रास्ता से ही प्रार्थीगण आवागमन किया है तथा जब
प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की आबादी में से कभी आवागमन
ही नहीं किया है तो आवागमन में बाधा पैदा करने का
प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थीगण दिगर गांव
की आबादी में से दीगर गांव की आबादी तक नया
रास्ता पूर्व से आबादी हेतु कायम कराने के
अधिकारी नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण वक्त निर्माण
से अपनी आबादी व गैरमुं० राह व खातेदारी की आबादी
में गैरमुं० रास्ता ख० नं० 177 में से होकर ख० नं० 183,
184 वाके ग्राम नगलापुर में से आवागमन कर रहे हैं
जिसहेतु उन्होंने आ० ख० नं० 183, 184 के काश्तकारों से
रास्ता देने बाबत गांव के पंचायत की भी [illegible]
में उक्त आबादी के काश्तकारों द्वारा रास्ता देने बाबत
कह दिया था लेकिन बिना प्रार्थीगण से [illegible]
है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में [illegible]
काश्तकार्य हेतु रास्ता की मांग नहीं की है तथा
उक्त कानून धारा 251 ए काश्त० अधि० के
तहत काश्तकार्य हेतु नया रास्ता कायम किया जा

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not V
Digitally signed by
Rajawat
Date: 2021.06.24
Reason: SelfAttes

	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर एवं तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सकता है, आबादी हेतु रास्ता कायम नहीं किया जा सकता तथा प्रार्थीगण गांव नंगलापुर के रहने वाले हैं तथा इन अप्रार्थीगण की आबादी नहीं वाके ग्राम कोकावास में स्थित है इसलिए प्रार्थीगण अपनी वाके ग्राम नंगलापुर की आबादी के लिए किसी भी प्रकार से दीगर गांव की आबादी में से नया रास्ता कायम करने के अधिकारी नहीं है अंकित करते हुए जवाब में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र जिसमें तथ्यों पर, कि अप्रार्थीगण की आबादी में से नया रास्ता कायम करने हेतु पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। गांव नंगलापुर के ख०नं० 159 में कुछ जोहड़ है जिसकी दक्षिण पश्चिम में मन्दिर बना हुआ तथा मन्दिर के उत्तर पश्चिम के ख०नं० ख०नं० 216 में 18 व 19 प्रार्थीगण की है तथा आमसड़क ख०नं० 159 की एक रास्ता ख०नं० 177, 178 में कुछ ख०नं० 159 की तरफ जा रहा है जिन रास्ता व मन्दिर के बीच ख०नं० 180 व 161 स्थित है तथा ग्राम पंचायत द्वारा मेन रोड से जोहड़ तक मनरेगा योजना के तहत ग्रेवल सड़क निर्माण का प्रस्ताव लिया हुआ है एवं रास्ता निर्माण कार्य चालू है जो ख०नं० 180, 161 में से अतिक्रमण हटवाकर रास्ता बनाया जा रहा है तो प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से दीगर गांव की आबादी में कोई नया रास्ता कायम करने के अधिकारी नहीं है आदि-आदि अंकित करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्पष्ट खारिज किये जाने का निवेदन [illegible] तहसीलदार मुण्डावर पत्रांक 271 दिनांक 28/1/21 [illegible] प्राप्त रिपोर्ट द्वारा ख०नं० 362, 363 [illegible] ग्राम कोकावास की पश्चिमी भुजा के सहारे-सहारे [illegible] ख०नं० 18 वाके ग्राम नंगलापुर मुख्य सड़क ख०नं० 341 से ख०नं० 362, 363 वाके ग्राम कोकावास तक चाहा गया है एवं ख०नं० 363 की अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है। ख०नं० 363 की

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:38 IST
Reason: SelfAttested

उत्तरी भुजा नक्शे में कटानी रास्ता खि० नं० 341
से लगती हुई है लेकिन मौके पर उक्त दोनों खि० नं०
362 व 363 की पश्चिमी भुजा के सहारे-सहारे कोई
रास्ता मौके पर चालू नहीं है तथा मौके पर उक्त दोनों
खसरा नम्बरान में गेहूँ की फसल खड़ी है। नक्शा लट्ठा
अनुसार नक्शे में कटानी रास्ता खि० 341 (कुल रास्ता) से
खि० नं० 362, 363 की पश्चिमी भुजा के सहारे-सहारे
खि० नं० 18 ग्राम नन्नापुर तक रास्ते की लम्बाई
80 मीटर बनती है व खि० नं० 16/0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन
चाह 17/0.06 हैक्टेयर गै०मु० आबादी व 18/3.63 हैक्टेयर
मिसल चाही 2 वाके ग्राम नन्नापुर प्रार्थीगण की
खातेदारी में अंकित है। खि० नं० 18 की उत्तरी भुजा
ग्राम कोकावास के खसरा नं० 362/0.13 हैक्टेयर से
लगती हुई है। मौके पर खि० नं० 17/0.06 हैक्टेयर (गैरमुमकिन
आबादी) में प्रार्थीगण रिहायशी मकान बनाकर रह रहे हैं व
हाल जमाबन्दी में खाता नं० 134 में खि० नं० 16,17,18 वाके ग्राम
नन्नापुर पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
राजस्व तहसील अधिकारी, अलवर के स्थगन आदेश अंकित है।
वैकल्पिक तौर पर आ० खि० नं० 18 वाके ग्राम नन्नापुर
तक जाने का रास्ता ग्राम नन्नापुर के नक्शे में कटानी
रास्ता खि० नं० 177 से होकर खि० नं० 189, 188, 183 व 184
से होकर जा सकता है लेकिन नक्शा लट्ठा और अनुसार
उक्त वैकल्पिक रास्ते की लम्बाई 312 मीटर बनती है जो कि
प्रस्तावित (दावा में वर्णित) से अधिक है नजरी
नक्शा तैयार करते हुए प्रस्तुत की गई है।

वकील उभय पक्षकारान की बहस [illegible]
बाबत प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया [illegible]
प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के विवरणों को दोहराते हुए
मुताबिक प्राप्त तहसीलदार मुण्डावर की तथ्यात्मक रिपोर्ट मुताबिक
उक्त विवादित आराजीयात वाके ग्राम नन्नापुर की आराजी हेतु
चाहे गये रास्ते बाबत जो आ० खि० नं० 362, 363 वाके
ग्राम कोकावास तहसील मुण्डावर में स्थित है तथा ये दोनों

उपखण्डाधिकारी
24 मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Ve
Digitally signed by Ra
Rajawat
Date: 2021.06.24 10:
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर एवं तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

80 मीटर रास्ते से होने वाली क्षति बाबत अंकन करते हुए रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डावर के बिन्दु सं. 4 अनुसार जिसके मुताबिक रास्ते की 212 मीटर बनती है। कम लम्बाई 80 मीटर का रास्ता बिल्कुल रैम्प कीमत अदा करने की सहमति के साथ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिलाये जाने का अभिकथन किया। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनों को नाराजगी करते हुए अपने जवाब के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की गैर मुमकिन आबादी के बाबत में आवासीय मकानात बनाकर लम्बे समय पूर्व से रहना जाहिर करते हुए जो वाके ग्राम मोलाहेडा की आराजियात है तथा जिन प्रार्थीगण की आराजियात वाके ग्राम कोकावास तह. मुण्डावर को होना अंकित करते हुए कानूनन धारा 251ए काश्त. अधि. के तहत केवल मात्र काश्तकार हेतु नया रास्ता कायम किया जा सकता है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी काश्तकारी हेतु रास्ता की मांग नहीं की है आदि - आदि का कथन करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का अभिकथन किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं पत्रावली के अवलोकन उपरान्त तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डावर को भी ध्यान में रखते हुए जिसके मुताबिक आ. खि. नं. 362, 363 जो अप्रार्थीगण के नाम वाके ग्राम कोकावास में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है एवं चाहे गये रास्ते की लम्बाई 212 मीटर के बजाय उक्त खसरा स्थान में से 80 मीटर की लम्बाई को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का आ. खि. नं. 16, 17, 18 वाके ग्राम मोलाहेडा से आने जाने हेतु आराजी खि. नं. 362, 363 वाके ग्राम कोकावास तहसील मुण्डावर में 6 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने की प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मोलाहेडा से पहुंचने आराजी खि. नं. 16, 17, 18 वाके ग्राम मोलाहेडा हेतु आ. खि. नं. 362, 363 वाके ग्राम कोकावास तहसील

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Si
Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:38
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही [illegible]

मुण्डावर जिला अलवर की अपीलार्थीगण के नाम
हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में से पश्चिमी डोल के सहारे
सहारे चौड़ाई 15 फुट एवं लम्बाई 80 मीटर उत्तर
दक्षिण रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं
जिस हेतु तहसीलदार, मुण्डावर को आदेश दिया जाता है कि
वे उक्त रास्ते में प्रयुक्त होने वाले रकबे के बाबत अपीलार्थीगण
से वर्तमान डी.एल.सी. की रियायती दर से मुआवजा की गणना
कर अपीलार्थीगण के बैंक खाता नम्बरान के माध्यम
से जमा कराये जाने हेतु प्रार्थीगण से राशि जमा राज
कोष कराये जाने उपरान्त ही अपीलार्थीगण के खातेदारी
भुगतान हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें तथा
बैंक रहन की स्थिति में अपीलार्थीगण के नाम शेष रकबे
रकबे हिस्से आराजी के बैंक ऋण राशि वसूलनीय
रहेगी। प्रार्थना पत्र शीर्षक एवं रिपोर्ट तहसीलदार
मुण्डावर "पी.डब्ल्यू-अ" निर्णय के अंग होंगे/ के अंश
रहेंगे। पत्रावली के नतीजा कायम हो / नकल [illegible]
कायम हो / फाइल कार्यालय जमा [illegible]
गया हो / सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०